न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 08/2010 प्रा0पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

बसंती बेवा बलवंता कौम बंजारा निवासी बापी (फौत)

1/1 रामगोपाल पुत्र बलवंता

1/2 रामकिशोर पुत्र बलवंता

जाति बंजारा निवासी बापी

1/3 बादामी पुत्री बलवंता जाति बंजारा निवासी बडागांव जयसिंहपुरा तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर

..अप्रार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

2. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक:25.6.2025

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03.10.1985 को ग्राम बापी तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल के आ0ख0नं0 770/4 रकबा 0.23 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण की माता बसंती बंवा बलवंता जाति जाति बंजारा निवासी बापी को कर दिया गया। अप्रार्थी बसंती द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण की माता बसंती पत्नि बलवंता जाति बंजारा निवासी बापी तहसील दौसा को दिनांक 03.10.1985 को ग्राम बापी 770/4 रकबा 0.23है. किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 163 दिनांक 16.7.1992 को गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। अतः आ[illegible] शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अ[illegible] आवंटन निरस्त फरमावें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने ब[illegible] कि आवंटी बसंती [illegible] बलवंता जाति बंजारा को आवंटित भूमि खसरा नंबर 70/4 [illegible] ग्राम बापी में स्थि[illegible]र आवंटन के समय से ही आवंटी बसंती देवी एवं बसंती [illegible] की मृत्यु के उपरांत उसके विधिक वारिसान के द्वारा निरन्तर काश्त की जा रही है। वर्तमान में भी उक्त आवंटित का भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:39 IST
Reason: SelfAttested

DW
जिला कलेक्टर,दौसा

के आवंटन के पश्चात से ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। तहसीलदार दौसा के द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी बसंती बेवा बलवंता जाति बंजारा निवासी बापी को दिनांक 3.10.1985 को ग्राम बापी स्थित भूमि खसरा नंबर 770/4 रकबा 0.23है. गै0मु0 रास्ता भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2056 से 2059 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 3.10.1985 को अप्रार्थी बसंती को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6.. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 3.10.1985 के द्वारा ग्राम बापी में आवंटी बसन्ती बेवा बलवंता जाति बंजारा के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 20 जून, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:49:39 IST
Reason: SelfAttested